रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 1973/चैत्र 23, 1895
No. 146] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 1973/CHAITRA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 1973.

S.O. 220(E).—Where as the Central Government is satisfied that public interest requires that the Security Paper Mill, Hoshangabad should be declared to be a public utility service for the purposes of the Industrial Disputes Act, 1947;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of this notification.

[S 11025/11/73-L.R.I.]

S. S. SAHASRANAMAN,
Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1973

का० आ० 220(अ)यत: केन्द्रीय सरकार ने समाधान कर लिया है कि लोक हित मे यह आवश्यक है कि सिक्योरिटी पेपर मिल, होशगाबाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनो के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए इस अधिसूचना की तारीख से छ. मास की अवधि के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एम० 11025/11/73–एस आर I)

एस० एम० सहस्रनामन, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973